बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गया जिला नगर प्रखंड के शेरघाटी- गया मुख्य पथ में कलेर डाकस्थान से चपरदह रोड तक सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। इसी सड़क पर कलेर पावर ग्रिड, दांगी छात्रावास, पंचशील नगर (कलेर) तथा मगध मेडिकल कॉलेज का पिछला द्वारा अवस्थित है। इस महत्वपूर्ण सड़क की स्थिति जर्जर होने से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत: ध्यानाकर्षण के माध्यम से लोकहित के इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- उपेन्द्र प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 48/2017 - 271 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 06.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

नगर पंचायत बखरी, बेगूसराय में सी.सी.टी.वी. कैमरा आपूर्ति सह अधिष्ठान एवं अन्य सामग्री तथा हाईमास्ट लाईट, स्ट्रीट लाईट, जेसीबी ट्रैक्टर, चलंत शौचालय, फोगिंग मशीन एवं एल.ई.डी. लाईट खरीद में काफी अनियमितता हुई है। उक्त सभी सामानों के खरीद में टेंडर प्रक्रिया एवं विभागीय कार्य में लूट-खसोट किया गया है। एल.ई.डी. लाईट नगर पंचायत बखरी में किसी जगह नहीं लगाया गया है। संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से कार्य नहीं कराने के संबंध में जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय ने अपने पत्रांक- 447, दिनांक- 17.05.2016 के द्वारा नगर पंचायत बखरी को निदेशित किया था कि बहुत ही आवश्यक हो तो प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता से कार्य कराया जा सकता है। क्योंकि उनकी सेवा नियमित है तथा पी.डब्लू.डी. कोड के अन्तर्गत है। इस पत्र को नजरअंदाज कर संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से एक योजना को तोड़कर कई योजना बनाकर कार्य किया गया है।

अतः नगर पंचायत बखरी में अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कर पदाधिकारियों को दंडित कराने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 47/2017 - 270 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपिः- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जिला परिषद् एवं पंचायती राज विभाग, बिहार/ नगर विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 06.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद   ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्व. भुनेश्वर सिंह, ग्राम-पो- अराय, थाना- विक्रम, जिला- पटना, बिहार के.सी. 2/114 पी.एल. 63603/81 एफ.एफ. बिहार के निलंबित पेंशन को चालू करने के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि श्री सिंह की स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन की स्वीकृति विधिवत् प्रारम्भ की गई। दुभाग्यवश उनके पड़ोसी ने आपसी जायदाद विवाद की वजह से उम्र संबंधी आरोप लगाकर पेंशन को निलंबित कराने में सफल रहा। फलस्वरूप मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी को सुनने के पश्चात् लाभ निर्णय श्री सिंह के पक्ष में दिया और जिलाधिकारी पटना द्वारा पेंशन निलंबित रखने पर एतराज जताया और एक माह के अंदर उम्र संबंधी जांच को सही पाया। अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज ने मेडिकल टीम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जिलाधिकारी पटना ने मेडिकल टीम गठित कर उम्र की जांच करायी। पुन: गृह मंत्रालय ने श्री सिंह का पेंशन निलंबित कर दिया।

यह अत्यन्त गंभीर एवं सोचनीय है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्यक जांच कर पेंशन जीवित किया गया। पुन: उन्हीं बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, पटना द्वारा जांच कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है।

अत: श्री दीनानाथ सिंह का स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन चालू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 45/2017 - 268 (1) / वि.प.।   पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विशेष विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 06.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।